भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2010/H-1/12/8 Pt. **New Delhi, dated 30 .10.2013**

The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
The Chief Administrative Officer (R),
DMW, Patiala and The Director General,
RDSO, Lucknow.

Sub: The scheme of "Honorary Visiting Specialists" in Railway Hospitals – Revision of Honorarium and revised procedure of selection.

Ref: Railway Board's letter no. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005 & 2010/H-1/12/8 dated 11.05.2012.

Ministry of Railways (Railway Board) have approved the following changes in the Honorary Visiting Specialist Scheme contained in Board's letter under reference:

Para-10:-The honorarium of Honorary Visiting Specialists contained in Para – 10 of Board's letter dated 15.12.2005 is hereby revised as below:

Existing Honorarium		Revised Honorarium	
Hours of Duty	Honorarium	Specialist	Super specialist
2 hrs/day/6 days/ week	Rs. 20,000/p.m.	Rs. 32,000/p.m.	Rs. 40,000/p.m.
2 hrs/day/4 days/ week	Rs. 14,000/p.m.	Rs. 20,000/p.m.	Rs. 25,000/p.m.
2 hrs/day/2 days/ week	Rs. 7,000/p.m.	Rs. 10,000/p.m.	Rs. 12,500/p.m.

Para 3.1:- Minimum PG diploma/Post-Graduate degree from a recognized University. For Super Specialists the minimum qualification will be Post Doctoral qualification DM/MCh or equivalent.

Para-4 :- In supersession to the Procedure of selection contained in Para 4 of Board's letter dated 15.12.2005, the revised Procedure for Selection of Honorary Visiting Specialists will be as under:

1. Zonal Railways (CMD) will constitute a committee of three doctors as required headed by MD/CMS/ In charge.
2. Committee will collect the CV's / application of specialists in that field from those who express interest to work as Honorary Visiting Specialist in Railway hospital.
3. Screening of the papers only will be done and the selected doctors name will be forwarded to Board with the zones recommendation. The HVS will not be called for physically.
4. Committee will record the rationale of making a particular choice.

The above changes will be effective from the date of issue of this letter. All other conditions of engagement of Honorary Visiting Specialist will remain same as laid down in Board's letter dated 15.12.2005 & 11.05.2012.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Board's office.

(Dr. P. Pant)
Director/ IH
Railway Board

No. 2010/H-1/12/8 Pt. New Delhi, dated 30 .10.2013

Copy for information and necessary action to:

1. The FA&CAO, All Indian Railways/PUs .
2. The Chief Medical Directors, The Chief Medical Suprintendents,All Indian Railways/PUs.
3. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs .

(Dr. P. Pant)
Director/ IH
Railway Board

No. 2010/H-1/12/8 Pt. **New Delhi, dated 30 .10.2013**

Copy for information and necessary action to:

4. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs .
5. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.-222, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/ Railways

Copy to:- DDF(E)1 & F(E)Spl, Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2010/एच-1/12/8 पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 30 .10.2013

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला और
महानिदेशक, अ. अ. एवं मा. सं., लखनऊ

विषय: रेलवे अस्पतालों में "ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट" योजना - मानदेय में संशोधन एवं संशोधित चयन प्रक्रिया।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40 एवं दिनांक 11.05.2012 का 2010/एच-1/12/8.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र में निहित ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट योजना में निम्नलिखित परिवर्तन अनुमोदित किए हैं:-

पैरा-10:- बोर्ड के दिनांक 15.12.2005 के पत्र के पैरा -10 में निहित ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट के मानदेय में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

मौजूदा मानदेय		संशोधित मानदेय	
ड्यूटी का समय	मानदेय	स्पेशलिस्ट	सुपर स्पेशलिस्ट
2 घंटे/दिन/6 दिन/सप्ताह	20,000/- रुपए प्रति माह	32,000/- रुपए प्रति माह	40,000/- रुपए प्रति माह
2 घंटे/दिन/4 दिन/सप्ताह	14,000/- रुपए प्रति माह	20,000/- रुपए प्रति माह	25,000/- रुपए प्रति माह
2 घंटे/दिन/2 दिन/सप्ताह	7,000/- रुपए प्रति माह	10,000/- रुपए प्रति माह	12,500/- रुपए प्रति माह

पैरा 3.1:-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री। सुपर स्पेशलिस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पोस्ट डॉक्टोरल क्वालिफिकेशन डीएम/एमसीएच या इसके समकक्ष होगी।

पैरा -4 :- बोर्ड के दिनांक 15.12.2005 के पत्र में निहित चयन प्रक्रिया के बदले ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट के चयन की संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. क्षेत्रीय रेलें (सीएमडी) यथा अपेक्षित तीन डॉक्टरों की एक समिति गठित करेगी जिसके अध्यक्ष एमडी/सीएमएस/प्रभारी होंगे।
2. समिति उस क्षेत्र के ऐसे स्पेशलिस्टों, जो रेलवे अस्पताल में ऑनरेरी विज़िटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में काम करने की रूचि व्यक्त करें, से सीवी/आवेदन इकट्ठा करेगी।

3. केवल कागजातों की जांच की जाएगी और चयनित डॉक्टरों के नाम ज़ोनों की सिफारिश के साथ बोर्ड को भेजे जाएंगे। एचवीएस को व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया जाएगा।

4. समिति कोई खास विकल्प देने के औचित्य को दर्ज करेगी।

उपर्युक्त परिवर्तन इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की अन्य सभी शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसाकि बोर्ड के दिनांक 15.12.2005 और 11.05.2012 के पत्र में निर्धारित किया गया है।

इसे बोर्ड कार्यालय के वित्त निदेशालय के सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. पी. पंत)
निदेशक/आईएच
रेलवे बोर्ड

सं. 2010/एच-1/12/8 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 30 .10.2013**

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/ सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

(डॉ0. पी. पंत)
निदेशक/आईएच
रेलवे बोर्ड

सं. 2010/एच-1/12/8 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 30 .10.2013**

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:-

4. प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रति: डीडीएफ(ई) एवं एफ(ई)स्पेशल, रेलवे बोर्ड